(80)

:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण कर्मकारों के हितार्थ **"अक्षमता पेंशन योजना"** की स्वीकृति तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उनके आदेश संख्या– 1336/36–2–11, दिनांक 08.11.2011 के क्रम में एतद्द्वारा निर्माण कर्मकारों के हितार्थ **"अक्षमता पेंशन योजना"** इस प्रतिबन्ध के साथ अधिसूचित की जाती है कि योजना के अन्तर्गत सृजित होने वाले देयताओं का वित्त–पोषण भवन तथा अन्य सन्निर्माण कार्यों पर लगने वाले सैस व अन्य श्रोतों से होने वाली आय से किया जायेगा।

अतएव उक्त योजना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवर्तित व लागू की जाती है।

(सीताराम मीना)
सचिव।

कार्यालय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, कानपुर।

पत्रांक: /भवन निर्माण–( )/2011, दिनांक– ,2011

प्रतिलिपि– ***निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–***

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
5. अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करते हुये वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या– 1336/36–2–11, दिनांक 08.11.2011 के क्रम में सूचनार्थ।

संलग्नक: यथोक्त।

(बी0के0 राय)
उप सचिव, बोर्ड।